

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 में पारित
कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत रूपनगढ़ दिनांक 22-12-2021

न्यायालय शिविर प्रभारी एवं उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़, जिला-अजमेर


क्रमांक/प्रशा0गांवों के संग अभियान/2021/1016

दिनांक :- 22-12-2021

आदेश:-

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र, प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 कैम्प रूपनगढ़
में मजमें आम में जानकारी अनुसार, रिपोर्ट पटवारी हल्का _____ जांच मू.अ.नि. _____
सरपंच ग्राम पंचायत रूपनगढ़ का प्रमाण पत्र, तहसीलदार रूपनगढ़
की रिपोर्ट/ अनुशंषा के आधार पर राजस्थान मू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में
ग्राम रूपनगढ़ तहसील रूपनगढ़ जिला- अजमेर की जमाबन्दी संवत् 2075 (वर्ष 2019 से स्थायी)
के खाता संख्या 322 में वर्तमान में दर्ज इन्द्राज को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया
जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते हैं।


क्र.सं०	नाम ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान इन्द्राज (अशुद्ध प्रविष्ट)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।
1	<u>रूपनगढ़</u>	<u>322</u>	<u>कैलाशचन्द पुत्र उगम- लाल जाति सुनार</u>	<u>राजेन्द्र कुमार सोनी पुत्र उगमलाल जाति सुनार</u>


उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़
जिला-अजमेर (अजमेर)
दिनांक 22-12-2021

क्रमांक/सम/2021/1935-36

प्रतिलिपि-

1. तहसीलदार रूपनगढ़ को भिजवाकर लेख है कि मुताबिक आदेश के राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करवाकर पालना करें।
2. प्रार्थी श्री _____ को सूचनार्थ।
3. आदेश पत्रावली


उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)
उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़
जिला-अजमेर

